संख्या-77/2015/1637/26-3-2015-10(7)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 जुलाई, 2015

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद-जौनपुर के ग्राम-नयनसण्ड के स्थान पर ग्राम-गोविन्ददासपुर, मनिहा, परगना-सरेहू, तहसील सदर में 480 क्षमता के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना/भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-197-98/स0क0/विकास/ए0टी0एस0-नयनसण्ड (162)/2015-16, दिनांक-22.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन जनपद-जौनपुर के ग्राम-नयनसण्ड के स्थान पर ग्राम-गोविन्ददासपुर, मनिहा, परगना-सरेहू, की सदर तहसील में 480 क्षमता के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0-1297.72 लाख की धनराशि पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं वर्ष 2015-16 में प्रथम किश्त के रूप में रूपये-519.08 लाख (रूपये पांच करोड़ उन्नीस लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कोरपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर निर्माण कार्य की दूसरी किश्त 40 प्रतिशत तथा प्रथम और द्वितीय किश्त की सम्मिलित राशि के 75 प्रतिशत का उपयोग होने पर तीसरी किश्त के रूप में 35 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने पर विचार किया जायेगा। दूसरी एवं तीसरी किश्त निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति, नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद जारी की जायेगी। बकाया 5 प्रतिशत राशि निर्माण कार्य के पूर्ण होने, उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने तथा तत्संबंधी सम्परीक्षित विस्तृत लेखा जोखा कार्यदायी संस्था से प्राप्त होने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये। प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(5) उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत प्रायोजना अन्तर्गत भूमि 0.50 मी0 नीची होने के कारण प्लिंथ की अतिरिक्त ऊचाई प्राविधान को भी अनुमन्य किया गया है।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/डाक घर/बैंक आदि डिपाजित खातों में नहीं रखी जायगी। धनराशि का व्यय वित्त (बजट) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30.03.2015 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-बृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-988/दस-2015, दिनांक 24 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

संख्या-77/2015/1637(1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, जौनपुर ।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कोरपोरेशन लि0।
8. निदेशक, एन0आई0सी0।
9. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।
10. गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in